निर्णय ब इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 150/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

सलाम खां पुत्र श्री इब्राहिम खान निवासी वार्ड नम्बर 6, कस्बा चाकसू, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री आशीष कुमार आर॰ए॰एस॰ अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, जिला जयपुर ।
2. नारायण लाल मीणा पुत्र श्री कानाराम मीणा निवासी 55, गिरधारीलालपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र बाबत अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर द्वितीय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 02/2024 ब उनवानी नारायण लाल बनाम निर्मल व अन्य ।

उपस्थितः—

1. श्री मुकेश कुमार लोगवानी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री बृजेश शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 23.01.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर द्वितीय के समक्ष प्रकरण संख्या 02/2024 ब उनवानी नारायण लाल बनाम निर्मल व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर द्वितीय से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री बृजेश पारीक ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 24.06.1968 को निरस्त कराने के सम्बन्ध में लगाभग 55 वर्ष पश्चात उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थी संख्या 02 अप्रार्थी संख्या 01 के कार्यालय में ही अक्सर बठा रहता है तथा न्यायालय में मनचाही तारीख पेशी लेता है तथा प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा तारीख पेशी के संबंध में आपत्ति किये जाने पर प्रार्थी के अधिवक्ता की आपत्ति को दरकिनार करते हुये उपरोक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 02 की मनचाही तारीख पत्रावली में दर्ज की जाती है। अप्रार्थी संख्या 02 ने अप्रार्थी संख्या 01 के न्यायालय से बाहर आते समय प्रार्थी को स्वयं को यह कहा कि वह उक्त न्यायालय से अपने पक्ष में निर्णय करवायेगा तथा वह उक्त आवंटन आदेश को निरस्त करवायेगा।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा उपरोक्त प्रकरण में जिस तरह से कार्यवाही की जा रही है उससे प्रार्थी को पूर्णरूप से अन्देशा है कि प्रार्थी के विरूद्व न्यायालय द्वारा निर्णय किया जावेगा। मान्य न्यायालय का ध्यान इस ओर अकृषित करवाया जाना आवश्यक है कि उक्त न्यायालय में चल रही अन्य पत्रावलियों में तारीख पेशियां रूटीनवाईज दी जा रही है लेकिन प्रार्थी की उक्त पत्रावली की आदेशिकाओं का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि जल्दी जल्दी तारीख पेशी दी जा रही है। पत्रावली का अवलोकन से ही यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 2 के बिहाफ पर अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रिज्यूडिश होकर प्रार्थी के विरूद्व उपरोक्त प्रकरण को निस्तारित करने का मन बना लिया है तथा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थी को अपने पक्ष में निर्णित कराने की धमकी देने से भी यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को उक्त प्रकरण में न्याय नहीं मिल पायेगा। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता ने प्रार्थी के तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी येनकेन प्रकारेण प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करना चाहता है। इस कारण प्रार्थी ने काल्पनिक एवं मनघढन्त आरोप लगाते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि पीठासीन अधिकारी द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही की जा रही है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमावें।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर द्वितीय के पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। न्यायालय द्वारा नजदीक की तारीख पेशी दिया जाना प्रकरण के स्थानान्तरण करने का आधार नहीं है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 23.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner